

दूरभाष क्रमांक /Tel. Nos.  
कार्यालय : (022) 2583 8444  
Office : (022) 2583 8445  
Fax : (022) 2583 8446

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन



(श्रम मंत्रालय, भारत सरकार) - क्षेत्रीय कार्यालय - मुंबई - II  
वरदान कर्मशियल कॉम्प्लेक्स, छठी मंजील,  
एम. आई. वी. सी. रोड नं. 16, वागले इस्टेट, ठाने (प.) - 400 604. महाराष्ट्र

### EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

(Ministry of Labour, Govt. of India) Regional Office - Mumbai - II  
Vardan Commercial Complex, 6th Floor,  
M. I. D. C., Road No. 16, Wagle Estate, Thane - 400 604. Maharashtra.

सं.  
No.

दिनांक / DATE :

No.MH/ 40604/PF/Enf /THN/Circle II/ 1278

Date: 17/02/12

To,  
M/s ISS Hicare Pvt Ltd,  
Godrej Ind Ltd Complex,  
Gate no 04, Pirojshahnagar,  
Eastern Express Highway,  
Vikhroli (E) Mumbai 400079.

Sub: 1. Issuance of duplicate PF registration Certificate in R/o M/s ISS Hicare  
Pvt Ltd MH/40604

2. Change of name of the company from M/s Godrej Hicare Ltd


Ref: Letter dated 16.12.2011 received from the establishment through  
this office inward section on 16.12.2011.

Sir,

With reference to the letter cited above a copy of original code draft letter is  
enclosed herewith for your purpose.

Also as per your letter dated 16.12.2011, the name of your establishment has  
been updated to M/s ISS Hicare Pvt Ltd in this office establishment master file.

Yours faithfully,

  
(C P Mathur)

Assistant P.F. Commissioner  
R.O.Mumbai-II, Thane

Encl: As Above

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

भविष्य निधि भवन, 341, बांद्रा (पूर्व) बम्बई-400 051

Bhavishya Nidhi Bhavan, 341, Bandra (East), Bombay-400 051

सं./महा/भ.नि./प्रयोज्यता

No. MH/PE/APP/40604/ENT-20NE-7/F/12/2

दिनांक

Date: 23/1/95

सेवा मे

To

M/s. Godrej & his Ltd, (Including Branches)

Plant No-13, P. J. Shanganer, V. K. Road, B. N. 400 79.

विषय :- कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना-इसकी प्रयोज्यता-संकेत संख्या का आवंटन।

Sub : Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder—applicability thereof—Allotment of code number.

महोदय,

Sirs,

1. आपकी फैक्ट्री/स्थापना उसकी सभी शाखाएँ और विभागों के साथ दि... से कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के प्रविधान खण्ड में समाविष्ट की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि :-

1. Your factory/establishment with all its branches and departments is brought within the purview of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the scheme framed thereunder with effect from 1.9.1993. The information made available reveals that—

(1) आपकी फैक्ट्री अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग... का कार्य करती है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) के अधिन कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू होता है।

(i) Your factory is engaged in... one of the Industries specified in Schedule I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.

2. आपकी स्थापना... के लिए वर्गीकृत की गई है जिसपर अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अधिन भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।

(ii) Yours is an establishments classified as... to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 has been made applicable by the Government of India by a Notification issued under Section 1 (3) (b) of the Act.

3. आपकी फैक्ट्री/स्थापना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग में तथा अधिनियम की धारा 1 (3) (बी) के अनुसार भारत सरकार द्वारा अनुसूचित स्थापनाओं के वर्ग में अन्तर्भूत नहीं है। अतः आपकी स्थापना को अनुसूचित माना गया है।

(1-क) जाँच पड़ताल/उपलब्ध सूचना के आधार पर व्याप्ति तत्कालिक स्वल्प की है; लेकिन इस शर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रलेख सत्यापित हो जाए।

(1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries made/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.

(1-ख) अधिनियम की धारा (1) (4) के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वच्छिक रूप से विस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त आपके आवेदन सं... दि... के संदर्भ में कर्मचारी भविष्य निधि प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने तक आपकी स्थापना की तात्कालिक रूप से दि... से, व्याप्ती करके उसके लिए एम्प्लू... यह संकेत संख्या नियत की गई है।

(1-B) With reference to your application No. .... Dated 3/10/1994/29/1/95 received for extension of Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 under section 1 (4) of the Act, on a voluntary basis, a code number is hereby allotted to your establishment namely MH/40604... provisionally covering your establishment with effect from 1.9.1993 pending issue of a notification by the Government of India in exercise of the powers conferred on them by sub-section (4) of section 1 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952. under schedule Head "Trading & Commercial"

भाषकी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई गई योजना के उपबंधों का अनुपालन करते यह संकेत संख्या नियत की है। यह उक्त संख्या इस कार्यालय के साथ किये जानेवाले सभी पत्राचार से उद्धृत की जाए।

(1-C) The code No. MH/..... 40604..... is allotted to you for the purpose of making contribution with the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and the Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence with this office.

2. आपको ..... से कर्मचारी भविष्य निधि योजना ..... से परिवार पेन्शन योजना तथा ..... से निष्प सहबद्ध बीमा योजना के उपबंधों को कार्यान्वित करना है, अगर अभी तक न किये हो, तो।

(2) You are required to implement the provisions of the Employees' Provident Fund Scheme w. e. f. .... 1.1.1953 ..... Family Pension Scheme w. e. f. .... 1.1.1955 ..... and Deposit Link Insurance Scheme w. e. f. .... 1.1.1953 ..... if not already done.

3. फैक्ट्री/स्थापना में या उसके काम के भण्ड्य में काम करने वाला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 को धारा 26 के अनुसार निधि की सदस्य के लिए पात्र होगा।

3. As provided in para. 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory/establishment shall be eligible for membership of the fund.

4 (1) हर महीने प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनुसूची मुद्रा की नगद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण के 6 1/4% / 8% / 8 1/2% / 10% की दर से अंशदान नियोजता द्वारा देय होगा। कर्मचारी द्वारा देय अंशदान नियोजता द्वारा देय अंशदान समान होगा।

4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of 6 1/4% / 8% / 8 1/2% / 10% basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if payable to each employee, every month. The contribution payable by the employee shall be equal to contribution payable by the employer.

(2) अंशदान पूर्ण महीने में प्राप्त किये मूल वेतन, महंगाई भत्ता आदी के आधार पर परिकल्पित किया जाए, चाहे वह दैनिक, साप्ताहिक, पार्षिक या मासिक आधार पर अदा किया है।

(ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis.

(3) प्रत्येक अंशदान रुपये के नजदिक के चतुर्थांश में परिकल्पित किया जाएगा। जैसे कि 125 या उसके अधिक पैसे रुपये के अगले उच्च चतुर्थांश अनुसार गिने जाए।

(iii) Each contributions shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i. e. 125 paise more to be counted as the next higher quarter of a rupee.

(4) अंशदान की परिगणना हेतु वेतन नजदिक के रुपये में पूर्णांकित किया जाए जैसे कि 50 या उससे अधिक पैसे एक रुपया के अनुसार गिने जाए 50 से कम पैसे छोड़ दिये जाए।

(iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i. e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

टिप्पणी :- किसी भी दिन अपने 50 या 50 से अधिक व्यक्तियों को कामपर रखा तो आप 8% अंशदान देने के लिए उत्तरदायी होंगे।

NOTE : On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to pay contributions—8%.

(5) नियोजता प्रथमतः उसके और कर्मचारी को ओर से देय दोनों अंशदान करें।

(v) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also contribution payable by the members on behalf of the members.

(6) डेकेदार द्वारा कामपर लगाए हुये कर्मचारीयों के बारे में देय अंशदान डेकेदार वसूल करेगा और सदस्य के अंशदान की कटौती समान अंशदान प्रशासनिक चार्ज के साथ मुख्य नियोजता को सुपूर्त करेगा।

(vi) In respect of employee employed by or through a contractor, the contractor shall recover contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of membership contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.

(7) मुख्य नियोजता पर उसके कर्मचारीयों के एवं डेकेदार द्वारा कामपर लगाए हुये कर्मचारीयों के बारे में देय दोनों अंशदान और प्रशासनिक चार्ज का भरण की जिम्मेदारी होगी।

(vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions payable by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by him through a contractor and also Administrative charges.

5. कर्म के साथ

5. Bef every m hallans in

(क) भ. (a) P. I

(ख) प्रश (b) Ad

(ग) परिव (c) Fam

टिप्पणी :- 1 के 0.68%

NOTE : nce including

(2) यह भी परिवर्तित वेतन से पि

(ii) It ma ill have to f e subsequent

(3) आपको स पत्र की तारीख से

(iii) You l mely from— thin 30 days

(4) घन प्रेषण

(iv) The re ate Bank of I

(5) चेक यथा भी शाखा में प्र

(6) लेखा संख्या के अन्तर्गत लेखा र

6. Besides m deposit the am in the mann

9. निष्प स लेखा सं. 21.

(i) Depos Insura Account

२. क्षेत्रीय बी लेखा सं. २

(ii) Regiona Fund / tion Acc

कर्मचारी को उसका वेतन देने से पहले आप उसके वेतन से कर्मचारी के अंशदान की कटौती करें और आपका अंशदान एवं प्रशासनिक खर्चों की साथ प्रत्येक महिने की समाप्ति के 15 के दिन अन्दर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पोषित निधि के लेखा में अलग चालान द्वारा निम्नलिखित प्रकार से करें।

5. Before paying the member his wages, you shall deduct the employee's contributions from his wages which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close of every month be paid in the Accounts of the Fund maintained by the State Bank of India by separate challans in the following manner :

- |  |   |
|--|---|
| (क) क. नि. अंशदान (दोनों कर्मचारी एवं नियोजक का)         | कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 1 में निक्षेपित किया जाए।            |
| (a) P. F. contributions (both employees' and employer's) | To be deposited in Employee's Provident Fund Account No. 1.       |
| (ख) प्रशासनिक खर्चों की रकम                              | कर्मचारी भविष्य निधि लेखा सं 2 में निक्षेपित किया जाए।            |
| (b) Administrative charges                               | To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 2.       |
| (ग) परिवार पेंशन अंशदान                                  | कर्मचारी परिवार पेंशन निधि लेखा सं 10 में निक्षेपित किया जाए।     |
| (c) Family Pension contributions                         | To be deposited in Employees' Family Pension Fund Account No. 10. |

टिप्पणी :- 1. प्रशासनिक खर्चों की दर वेतन के, अर्थात् मूल वेतन, अनाज सुविधा की नकद कीमत के साथ महंगाई भत्ता और अगर हो तो प्रतिधारण के 0.65% है। जिस स्थापना द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास 5.00 रुपयों के कम परिकल्पित होती हो, उनके द्वारा प्रशासनिक खर्चों की रकम प्रतिमास कम से कम 5-00 रुपयें देय होगी।

NOTE : (i) The rate of administrative charges is 0.65 per cent of pay i.e. basic wages, dearness allowance including cash value of any food concession and retaining allowance, if any.

(2) यह भी नोट कर लिया जाये की सदस्य के वेतन से यथा समय कटौती न करने पर अंशदान के दोनों हिस्से खुद नियोजक को भरने होंगे क्योंकि अंतरवर्ती वेतन से पिछले अवधि के लिये बकाये अंशदान की वसूली निषिद्ध है।

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.

(3) आपको सभी पात्र कर्मचारियों के बारे में पिछले \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक के महिनों के लिए भविष्य निधि कुल अंशदान पर पत्र की तारीख से 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित खाते में निक्षेपित करना है।

(iii) You have to deposit the total P. F. contributions of the eligible employees for all past month namely from 1/1/1993 to date in to the respective account within 30 days from the date of this letter.

(4) धन प्रेषण हेतु सम्बन्धित चालान इस कार्यालय या विभिन्न जिलों में स्थित निरक्षक कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(iv) The relevant challans for the purpose of remittance of can be had from any branch of the State Bank of India.

(5) चेक यथा अवस्था क. भ. नि. लेखा सं. 1, 2, 10, 21 और 22 के नाम से लिखकर चालान की चार प्रतियों के साथ भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किये जाए।

(6) लेखा संख्या 1, 2 और 10 में (उपयुक्त ध्यारे के अनुसार) किये जाने वाले निक्षेप के अनिश्चित आपको कर्मचारी निक्षेप महत्वद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत लेखा सं 21 और 22 में निम्नलिखित प्रकार से राशिका निक्षेप प्रत्येक महिने का समाप्ति के बाद अगले महिने के 15 दिन के अन्दर करना

6. Besides making deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above) you are also required to deposit the amounts in Account Nos 21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

1. निक्षेप महत्वद्ध बीमा निधि लेखा सं. 21.

इस लेखा में नियोजक द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नकद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर 0.5% की दर से अंशदान निक्षेपित करना है।

(i) Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21.

To this account will be deposited the contribution 0.5 % which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employees by employer,

2. क्षेत्रीय बीमा निधि प्रशासन लेखा सं. 22.

इस लेखा में नियोजक द्वारा कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (अनाज सुविधा की नकद कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारण भत्ते की कुल राशी पर 0.1% की दर से प्रशासनिक खर्चों की रकम निक्षेपित करनी है।

(ii) Regional Insurance Fund Administration Account No.22

To this account will be deposited the administrative charges 0.1 per cent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to the employees by employer.

7. उपयुक्त लेखा सं. 1, 2, 10, 21, और 22 में किया जानेवाला निक्षेप अलग चालान द्वारा किया जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त पावती चालान प्रपत्र सं. १२-ए (निम्नलिखित व्योरो के अनुसार) के साथ संलग्न करके इस कार्यालय को भेजी जाए।

7. The deposit in the above Account viz. No. 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate cheques and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with form 12-A (explained below)

8. आपको निम्नलिखित विवरणियों का पोषण/प्रेषण करना है।

8. You are required to maintain/forward the following returns.

1. क. प. नि. योजना 1952 के अन्तर्गत प्रपत्र संख्या १ तथा प. पे. योजना 1971 के अन्तर्गत प्रपत्र सं. 3 (प. पे. नि.) योजना के अन्तर्गत फैक्ट्री/स्थापना की व्याप्ति की तारीख पर जिन्हे सदस्य बनाना आवश्यक है या जो बननेके लिए पात्र है उन कर्मचारियों के बारे में केवल एक बार इन्हे इस कार्यालय में प्रस्तुत करना है।

(i) Form No. 9 under the EPF Scheme 1952 and Form No. 3 (FPF) under the F. P. F. Scheme, 1971. These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory/establishment is covered under the Scheme.

2. कर्मचारी प. नि. योजना १९५२ तथा प. पे. नि. योजना 1971 के अन्तर्गत प्रपत्र सं. 2 इन्हे इस कार्यालय को भेजने के लिए प्रत्येक सदस्य से दो प्रतियों में प्राप्त करना है।

(ii) Form No. 2 under the EPF Scheme, 1952 and also under F. P. F. Scheme, 1971. These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office.

(3) प्रपत्र सं. 5-ए. यह इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा। मालिकी में अगर उत्तरवर्ती परिवर्तन हो जाए तो प्रपत्र के जरिए इस कार्यालय को सूचित किया जाए।

(iii) Form No. 5-A. This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

(4) प्रपत्र सं. 3-ए इसे प्रत्येक सदस्य कर्मचारी के बारे में फैक्ट्री/स्थापना में घोषित किया जाना है।

(iv) Form No. 3-A This is to be maintained at the factory/establishment in respect of every employee who is a member

(4) प्रपत्र सं. 6-ए यह अंशदान की वार्षिक विवरणी है और इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 30 दिन के अन्दर इस कार्यालय को भेजा जाना है।

(v) Form No. 6-A This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within 30 days of the close of the financial year.

(6) प्रपत्र सं. 12-ए यह अंशदान की मासिक विवरणी है और इसे 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है। स्टेट बैंक में किये गये निक्षेप के पुष्टिकरण हेतु चालान की प्रतियाँ इसके साथ संलग्न की जाएँ।

(vi) Form No. 12-A This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th. Copies of the challan, in support of the contributions made in the State Bank of India should be attached with this.

(7) प्रपत्र सं. 5 और 10 यह महिने में जिन कर्मचारियों को सदस्य बनाना गया है तथा जिन कर्मचारियों ने सेवा छोड़ी है उनके सम्बन्धि विवरणियाँ हैं जिन्हे 25 तारीख तक इस कार्यालय को भेजा जाना है।

(vii) Form Nos. 5 and 10 These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this office by the 25th.

9. निरीक्षक के "ए" में दि

9. Scheme Office and the Schem

10. इ का सदस्य या रजिस्टर रखेगी

10. Bk in employm

11. निम्न जाए।

11. An Provident Fu

12. उपयुक्त धारा नियत की है। सदस्यों के लेखा संख्या एमए नंबर एक सदस्य को नियत है उसने आपकी सेवा त्य

12. As stated in the account number of it should in no case be left your establis

9. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, परिवार पेन्शन योजना तथा निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना 1976 के अन्तर्गत सभी निर्धारित प्रपत्र भविष्य निधि निरीक्षक के कार्यालय में उपलब्ध हैं और आपकी पहचान पर उसकी पूर्ति की जाएगी। योजना के निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों का संक्षिप्त विवरण अनुलग्नक "ए" में दिया है। शीघ्र गणक भी इसके संलग्न हैं।

9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the Provident Fund Inspector's Office and will be supplied on receipt of your indent. A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure 'A'. A ready reckoner is also enclosed.

10. इसके अलावा आपको सेवा में लिए गये प्रत्येक कर्मचारी से प्रपत्र सं. 11 में निवेदन प्राप्त करना होगा जिससे वह पहले भविष्य निधि योजना का सदस्य था या नहीं इसका पता चल सके। सदस्यता के लिये लभनेवाली योग्यता की जाँच करने हेतु प्रत्येक स्थापना अर्थात् सदस्य कर्मचारी के बारे में पालता रजिस्टर रखेगी।

10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.

11. निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार एक निरीक्षक पुस्तिका रखी जाए एवं टीका-दिप्पणी दर्ज करने के लिए उसे भविष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाए।

11. An Inspection book in the following proforma may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observations :

- (1) भविष्य निधि निरीक्षक का नाम \_\_\_\_\_
- (i) Name of the Provident Fund Inspector Shri. C. A. Gwalakar
- (2) जाँच किये गये लेखा की अवधि \_\_\_\_\_
- (ii) Period for which accounts are checked .....
- (3) भेट की तारीख \_\_\_\_\_
- (iii) Date of visit .....
- (5) टीका दिप्पणी \_\_\_\_\_
- (iv) Observations .....

12. उपयुक्त धारा 2-के अनुसार आपकी फ़ैक्ट्री/स्थापना के लिए एमएच/..... यह संकेत दिया गया है। सदस्यों की लेखा संख्या, प्रपत्र संख्या 9 और प्रपत्र संख्या 3 (प. पे. नि.) के अनुसार क्रमशः होगी। एतद् अनुसार सदस्यों की व्यक्तिगत लेखा संख्या एमएच/...../1, एमएच/...../2, एमएच/...../3, और इसीतरह लगातार होगी। प्रत्येक बार एक सदस्य को नियत की गयी लेखा संख्या किसी भी मामले में दुसरे सदस्य के लिए नियत नहीं की जाएगी। (जिस सदस्य को लेखा संख्या दी गई है उसने आपकी सेवा त्याग देने पर भी)

12. As stated in para. 2 above, the code number allotted to your factory/establishment is MH/..... The account number of the individual members will be suffixed by the serial numbers in which they appear in Form No. 9, Form No. 3, (FPF). Thus the account number of individual members will be MH/...../1, MH/...../2, MH/...../3, and so on. An account number once allotted to a member should in no case be allotted to another member, even though the member bearing Account number may have left your establishment.

यह सुनिश्चित किया जाए कि निधि की देय राशी निर्धारित समय में भरनी है। विलंबित अदायगी कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकिर्ण को नुकसान की धारा 14-बी के अनुसार सौ प्रतिशत क्षतिग्रस्त के लिए उत्तरदायी होगी।

13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.

14. इसके अतिरिक्त देयता की अदेनगी तथा विवरणों की अपूर्णता के लिए अभियोग भी लगाया जाएगा।

14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of return.

15. इन कार्यालय के निरीक्षक आपकी स्थापना को भेट देंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि उन्हें आवश्यक सहयोग दे। तथापि, अगर आपको कठिनाई महसूस हो या आप किसी प्रकार के मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं; तो इस कार्यालय को या निम्नलिखित पते पर भविष्य निधि निरीक्षक को लिख सकते हैं।

15. An Inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_

भविष्य निधि निरीक्षक

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Provident Fund Inspector

Shri C. A. Gwalkar,

Please acknowledge receipt of this communication.

Yours faithfully

Regional Provident Fund Commissioner,  
Maharashtra and Goa.

19/11/15  
20/11/15

Copy to:-  
① ENF-ZONE-7  
② Co-Z. Co-ordination

1. संकेत संख्या  
1. Instruct  
2. Instruct  
3. Ready Contrib

लेखा संख्या के  
INSTRUC

फैक्ट्री स्थापना व  
निधि के जिलने धं  
घि की पूर्ण लेखा सं  
06/1, एम्एच/306,  
केत संख्या सूचित है  
गयी लेखा संख्या  
दस्य के लिए फिर से  
ख्या अप्रवृत्त रहेगी है  
लेखा संख्या उद्  
भवदी

The emplo  
the factory/esta  
the serial as t  
the factory/esta  
ned. For exan  
Numbers will  
unalterable fa  
Number allotte  
subscriber will  
account will t  
of a subscribe  
establishment i  
one. The Acco  
Provident Fund